न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 57 / 2016

RCMS No. 2016/00459

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 रूपाराम पुत्र भुराजी जाति बावरी निवासी बिठुडा कला तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. नारायणलाल पुत्र दुर्गाराम जाति बावरी निवासी बिठुडा कला 2. ग्राम पंचायत बिठुडा कला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिठुडा कला

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बिठुडा कला द्वारा मिसल संख्या 123 / 2007–2008, संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.01.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3143 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम बिठुडा कला में बावरीयों के बास में प्रार्थी का पुराना कब्जा सुदा आवासीय परिसर आया हुआ स्थित है, जिसमें प्रार्थी का रहवास है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है। अप्रार्थी ने फर्जी एवं झूठी तरीके से कार्यवाही की तथा प्रार्थी को उक्त परिसर से बेदखल करने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर व झूठे कथन एवं कार्यवाही कर जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा स्वयं के नाम जारी करवाया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध सिविल न्यायालय में भी कार्यवाही की, जहां जिला न्यायालय पाली में अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे को व उपयोग उपभोग को नहीं माना है तथा अपील अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 (द) सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रस्तुत की, जो भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुई तथा न्यायालय द्वारा मौके पर कब्जा भी प्रार्थी का ही माना है। पट्टा जारी करने से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पूर्व मिसल कायम कर निरीक्षण फीस, नक्शा फीस आदि जमा नहीं करवाई तथा न ही पंचायत द्वारा वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया, न नक्शा बनवाया। वांछित भूमि पट्टा जारी करने योग्य है अथवा नही ? इस बाबत कोई जांच नहीं की गई। आपत्ति पत्र कब व किनके समक्ष किस स्थान पर चस्पा किया गया, स्पष्ट नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में उक्त पत्रावली को रखा ही नहीं गया तथा विधि विरूद्ध कार्यवाही सम्पादित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो अपास्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि निगरानीकर्ता ने दीवानी मूल प्रकरण संख्या 62/2009 सिविल कोर्ट मारवाड़ जंक्शन में दावा किया था, जो इस आशय का था कि वादी का ग्राम बिठोडा कला की आबादी में आवासीय परिसर आया हुआ है, जिसमें पूर्व में बाडसा जाने का रास्ता, पश्चिम में हकाराम का मकान व टेडिया का जाव, उत्तर में खुला चौक तथा दक्षिण में वनाराम का मकान है। उक्त वाद में अप्रार्थी ने जवाब दिया कि उक्त पडौस अप्रार्थी के पट्टासुदा एवं कब्जासुदा मकान का है, जिसका पट्टा संख्या 3143 जारीसुदा है। उक्त प्रकरण का तनकी बनाने के बाद रूपाराम बनाम नारायणलाल का दावा संख्या 62/2009 दिनांक 05.12.2016 को निगरानीकर्ता का दावा खारिज किया गया। उक्त भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में प्रार्थी को धारा 447 में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया है, वह विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है, जो किसी भी रूप में विधि विरूद्ध नहीं है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कच्चा मकान है, जिसे निगरानीकर्ता द्वारा गिरा दिया गया। सिविल न्यायालय से निर्णय होने के बाद बदनियतिपूर्ण आशय से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बिठुडा कला द्वारा मिसल संख्या 123/2007–2008, संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.01.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3143 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 06.07.2007 को जैर निगरानी वादस्थ भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी मिसल कायम की गई। इसके पश्चात ग्राम सेवक को मकान का नक्शा बनाकर अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित किये। दिनांक 20.07.2007 की आदेशिका अनुसार मिसल में मकान का नक्शा व पंचो की रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित करते हुए आपत्ति आमन्त्रित करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2007 को जैर अपील वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का मकान स्थित होना बताते हुए नियम 158 के तहत निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने के आदेश पारित किए।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी की निगरानी का मुख्य आधार जैर निगरानी विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा होना जाहिर किया है। इस बिन्दु को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, मारवाड़ जंक्शन द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 557/09 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2013 में विवेचित करते हुए विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा माना है, जिसे स्वयं अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय में स्वीकार किया है। इसी प्रकार दीवानी मूल प्रकरण संया 62/2009 रूपाराम बनाम नारायणलाल वगैरा में भी माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, मारवाड़ जंक्शन द्वारा विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा व मालियत मानी है। इसके अतिरिक्त जहां तक जैर निगरानी आज्ञा की विधिकता का प्रश्न है, तो हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बिठुडा कला द्वारा मिसल संख्या 123/2007–2008, संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.01.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3143 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली